भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1857

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

लद्दाख के गाँवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति

1857. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सभी गांवों में सर्दियों के महीनों के दौरान 24x7 बिजली उपलब्ध हो जाती है जब सौर ऊर्जा उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लद्दाख के दूर-दराज के गांवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर ली जाएगी और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए 220 किलो वोल्ट श्रीनगर-लेह विद्युत लाइन परियोजना के संबंध में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या लद्दाख में अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी ऊर्जा कंपनियों के साथ किसी साझेदारी की संभावना तलाशी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में सरकारी भवनों और रक्षा प्रतिष्ठानों की कार्बन-तटस्थ ऊर्जा संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे विनिर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं।

भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान की है और वर्तमान में सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सहायता प्रदान कर रही है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नुब्रा, ज़ास्कर और चांगथांग क्षेत्रों में वर्तमान में लघु जलविद्युत परियोजनाओं, सौर पीवी संयंत्रों और डीजल जनरेटरों द्वारा ऑफ-ग्रिड मोड के माध्यम से विद्युतीकरण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, 220 केवी नुब्रा और ज़ास्कर पारेषण लाइन और हिम्या से न्योमा और खारू से दुरबुक तक 66 केवी लाइन निर्माणाधीन है। आरडीएसएस के तहत, 687 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें चांगथांग क्षेत्र को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 567 करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

(ग): संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 220 केवी श्रीनगर-लेह पारेषण लाइन की 335 किलोमीटर लंबाई पहले ही पूरी हो चुकी है और यह वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी। इससे आगे सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए, निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं:

i. 220 केवी फ्यांग-डिस्केट (नुब्रा) पारेषण लाइन: कुल 265 टावरों में से 90 टावर स्थापित किए जा चुके हैं और 224 टावर की नींव तैयार है। 17.67 किलोमीटर स्ट्रिंगिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

ii. 220 केवी द्रास-पदुम (ज़ास्कर) पारेषण लाइन: कुल 675 टावरों में से 339 टावर स्थापित किए जा चुके हैं और 577 टावर की नींव तैयार है। 27.77 किलोमीटर स्ट्रिंगिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अक्टूबर, 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।

(घ) : लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने अपने क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा/भंडारण परियोजनाओं के विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं की सूचना दी है:

- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ तारू में 40 मेगावाट घंटा सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के साथ 25 मेगावाट एसी, 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास इसका कार्य आवंटित हो चुका है और प्रगति पर है।

- स्टाकना जलविद्युत परियोजना स्थल पर 9 मेगावाट बीईएसएस के साथ 7 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की पहचान की गई है और रेस्को मॉडल पर बोली प्रक्रियाधीन है।

- नुब्रा में 12 मेगावाट बीईएसएस के साथ 1.5 मेगावाट (एसी), 4.5 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा परियोजना, और ज़ांस्कर में रेस्को मॉडल पर 12 मेगावाट बीईएसएस सौर ऊर्जा परियोजना के साथ 6 मेगावाट एसी।

(ङ) : लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी भवनों और रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए कार्बन-तटस्थ ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है।

****